न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 36/2024/अपील

राधा देवी पत्नी स्व0 श्री रामदास जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर जरिये मुख्तयार रतन कुमार पुत्र रामदास जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर हाल निवासी बी—10/803 न्यू मॉडल टाउन रेजिडेन्सी सारोली बस स्टेण्ड के पास, श्याम संगिनी टैक्स टाईल मार्केट के पास, सूरत (गुजरात)

अपीलान्ट

बनाम

1 छीतरमल पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम ठिकरिया तहसील रींगस जिला सीकर

2 तहसीलदार तहसील कार्यालय रींगस जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 23.11.1995 ग्राम ठिकरिया द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री विजय कुमार शर्मा
वकील रेस्पोडेंट श्री हरिश कुमार शर्मा

निर्णय **दिनांकः—20.02.2026**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि प्रार्थिया के पिता मांगीलाल पुत्र श्री मुरलीधर महाजन की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 1.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 533 रकबा 2.32 हैक्टयर कुल किता—3 कुल रकबा 3.82 हैक्टयर वाकै ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का ठिकरिया तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीया के पिता मांगीलाल के नाम चली आ रही थी। मांगीलाल के 5 वारिस थे जिनमें भंवरी देवी, शांति देवी, तोफा देवी प्रार्थिया राधा देवी पुत्रियां एवम् छीतरमल गैरनिगरानीकर्ता संख्या—1 पुत्र के रूप में वारिस थे। मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 14.08.1995 को हो गई। मांगीलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण प्रार्थिया के हिस्से में 1/5 होना था। रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा बाला—बाला उक्त नामान्तकरण राजस्व कर्मीयो से साज करके मांगीलाल के वारिसान की गलत जानकारी दी जाकर अपने आपको एक मात्र वारिस होना बताया जाकर उक्त नामान्तकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा प्रार्थिया को उक्त नामान्तकरण व राजस्व रिकॉर्ड बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा अपीलान्ट को आश्वस्त किया गया कि आपके हिस्से की 1/5 भूमि मेरे द्वारा बटाई पर दी जाकर उपज का हिस्सा दे दिया जावेगा। रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा उपज का हिस्सा प्रार्थिया/अपीलकर्ती को दिये जाने के कारण प्रार्थिया अपीलांट द्वारा राजस्व रेकार्ड की जांच नहीं की गई। अपीलांट के सूरत में रहने के कारण उक्त भूमि पर आना जाना नही रहा। रोस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा अपीलांट के वृद्धावस्था एवम् बाहर रहने व अपने भाई पर अधिक विश्वास होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को अपने नाम करवा लिया गया। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण पिता की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

सम्पति में पुत्र–पुत्रियो का हक हिस्सा होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलांट के साथ छल करके व अपीलांट एवं उनकी बहनो को सभी के हक हिस्से अनुसार उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण करवाये जाने बाबत आश्वस्त किये जाने के बावजूद उक्त नामान्तकरण बाला–बाला राजस्व कर्मियो से साजकर गलत वारिस नामा प्रस्तुत कर अपने आपको एक मात्र वारिस होना बताया जाकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तत्कालीन गिरदावर से रिपोर्ट करवाकर उसी दिन दिनांक 23.11.1995 को सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना कोई जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के कथनो पर विश्वास कर उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत नामान्तकरण के आधार पर एवम् गलत रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.04.2002 को खसरा नम्बर 514 मे से 11 एयर भूमि भागीरथ पुत्र भगवान सहाय निवासी गोरधनपुरा के हक में गुपचूप में विक्रय–पत्र उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में निष्पादित करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा खसरा नम्बर 533 रकबा 2.32 हैक्टयर ग्राम ठिकरिया मे से 325 वर्गमीटर भूमि का विक्रय और दिनांक 10.02.2009 को गुपचूप में सरला देवी पत्नि रिछपाल निवासी सरगोठ व बनारसी पत्नि मदनलाल निवासी सरगोठ, श्रवणी देवी पत्नि किशनलाल निवासी सरगोठ के हक में करवा दिया गया। उक्त विक्रय–पत्र अवैध शून्य नामान्तकरण के आधार पर करवाये जाने के कारण उक्त समस्त विक्रय पत्र प्रारंभतः शून्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर (वर्तमान तहसील रींगस) द्वारा पारित अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 231 दिनांक 23.11.1995 को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार मांगीलाल पुत्र मुरलीधर फौत होने पर उसके वारिस छीतरमल पुत्र मांगीलाल जाति महाजन के नाम तस्दीक किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को आदि के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विवेचन किया गया। जैसा कि पूर्व में विवेचित किया गया है यह निर्विवाद है कि अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री है तथा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय उसका नाम नामान्तकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन के पूर्व से अर्थात प्रारम्भ से ही उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों का निर्धारण उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रथम की श्रेणी प्रथम व श्रेणी द्वितीय के अनुसार किया जाता रहा है। श्रेणी प्रथम में हिन्दू पुरूष के पुत्रों तथा पुत्रियों को समान दर्जा प्राप्त है। यह सर्वव्यापक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ ही हिन्दू पुरूष का उत्तराधिकार उपरोक्त अनुसूची के अनुसार दर्ज किया जाता रहा है। धारा 8 उत्तराधिकार अधिनियम का मंतव्य भी महिलाओं के उत्तराधिकार को व्यापक बनाना है न कि संकुचित करना। धारा 6 में संशोधन के बावजूद धारा 8 के प्रभाव से महिलाओं को प्राप्त उत्तराधिकार को धारा 8 के प्रभाव से संकुचित अथवा समाप्त किया जाना legislation की मंशा नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. का तर्क है कि धारा 8 के प्रभाव में आने के पश्चात अपीलांट को पार्शनरी सम्पत्ती में अपना हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, धारा 8 के आलोक में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

निष्कर्षतः चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण संख्या 231 में अपीलांट का नाम बहैसियत पुत्री दर्ज नहीं किया जाना कानूनी नुक्श है जो दुरूस्ती के योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 23.11.1995 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रींगस को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामांतकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजियात के बाबत मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की नियमानुसार विधिवत जांच करते हुए पुनः विधिसम्मत नामांतकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर